

## राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16375/2021

डूंगर सिंह पुत्र रणजीत सिंह, आयु लगभग 72 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी भोजासर, हमीरा, तहसील और जिला जैसलमेर (राज.).

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.) के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर, जैसलमेर (राज.).
3. उपमंडल अधिकारी, जैसलमेर, जिला जैसलमेर (राज.).
4. तहसीलदार जैसलमेर, जिला जैसलमेर (राज.).

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री परमवीर सिंह  
प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री राम दयाल चौधरी,

**माननीय श्री न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर**

**रिपोर्ट योग्य**

**आदेश**

**07/03/2024**

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. वर्तमान मामले में संक्षेप में तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता भूमिहीन कृषक होने के कारण 38 बीघा भूमि पर काबिज था, लेकिन उसे अपनी भूमि के खसरा नंबर की जानकारी नहीं थी, जो उसके कब्जे में है। जब याचिकाकर्ता के पास भूमि का टुकड़ा था, तब उसने आवंटन के माध्यम से भूमि के नियमितीकरण के लिए आवेदन किया। भूमि के नियमितीकरण/आवंटन के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार किया गया और उसे 38 बीघा भूमि आवंटित की गई। भूमि का आवंटन याचिकाकर्ता को वर्ष 1977 में किया गया था और भूमि का खसरा संख्या 134/269 में उसके पक्ष में म्यूटेशन किया गया था। संबंधित क्षेत्र में खसरों के अंकन के बाद याचिकाकर्ता को पता चला कि वास्तव में उसके कब्जे में जो भूमि है, वह आवंटन आदेश में उल्लिखित भूमि नहीं है तथा उसे आवंटित की गई भूमि खसरा संख्या 134/269 में आती है तथा उसके कब्जे वाली भूमि से थोड़ी दूर है। याचिकाकर्ता की भूमि को ग्राम भोजासर के खसरा संख्या 173 की भूमि के रूप में सीमांकित किया गया था। याचिकाकर्ता ने ग्राम भोजासर के खसरा संख्या 173 में स्थित अपने कब्जे की भूमि के नियमन के लिए आवेदन किया। चूंकि याचिकाकर्ता के कब्जे में जो भूमि खसरा संख्या 173 में आती है, वह याचिकाकर्ता को आवंटित नहीं की गई थी, इसलिए, राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 (जिसे आगे '1956 का अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 91 के तहत तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा नोटिस जारी किए गए। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों से प्रार्थना की कि वर्ष 1977 में उसे आवंटित की गई भूमि खसरा संख्या 134/269 में आती है, जबकि वास्तव में उसके कब्जे में जो भूमि है वह खसरा संख्या 173 में आती है, इस प्रकार, भूमि के आदान-प्रदान से संबंधित प्रावधानों का सहारा लेकर, जो भूमि वास्तव में उसके कब्जे में है, उसे आवंटित किया जाए। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को ग्राम पंचायत, हमीरा द्वारा दिनांक 07.11.2017 को अपनी विशेष ग्राम सभा में संकल्प संख्या 3 के तहत अनुशंसित किया गया था। इसके बाद, तहसीलदार जैसलमेर ने अपने पत्र दिनांक 27.03.2018 के माध्यम से, खसरा संख्या 134/269 से खसरा संख्या 173 में भूमि के आदान-प्रदान के संबंध में 'अनापत्ति' भी दी।

3. जब याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया, तो उसने भूमि के आदान-प्रदान के लिए जिला कलेक्टर को 05.03.2019 (अनुलग्नक 10) को एक आवेदन दिया। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर, मामले की जांच की गई और उपखंड अधिकारी, जैसलमेर द्वारा एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके बाद, जिला कलेक्टर, जैसलमेर ने पत्र दिनांक 29.06.2020 द्वारा उपखंड अधिकारी, जैसलमेर को व्यक्तिगत रूप से साइट का दौरा करने और विनिमय की व्यवहार्यता के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश

दिया। उपखंड अधिकारी, जैसलमेर ने साइट का दौरा करने के बाद, दिनांक 15.07.2021 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि खसरा नंबर 134/269 में याचिकाकर्ता को वास्तव में जो भूमि आवंटित की गई थी, वह कृषि उद्देश्यों के लिए व्यवहार्य नहीं है और बदले में, याचिकाकर्ता को खसरा नंबर 173 से भूमि आवंटित की जा सकती है क्योंकि वह उस भूमि पर काबिज है। मामले की विधिवत जांच किए जाने और कलेक्टर, जैसलमेर को सकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बावजूद, भूमि के विनिमय के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को नामित अधिकारी (राजस्व) कलेक्टर, जैसलमेर द्वारा दिनांक 01.09.2021 (अनुलग्नक 15) के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। दिनांक 01.09.2021 के आदेश से व्यथित होकर, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार और उत्साहपूर्वक प्रस्तुत किया कि दिनांक 01.09.2021 का आदेश उपखंड अधिकारी, जैसलमेर द्वारा प्रस्तुत दो रिपोर्टों पर विचार किए बिना पारित किया गया है। रिपोर्ट बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि खसरा नंबर 134/269 में याचिकाकर्ता को वास्तव में जो भूमि आवंटित की गई थी, वह कृषि योग्य नहीं है, इसलिए, खसरा नंबर 173 में जो भूमि वास्तव में उसके कब्जे में है, उसे बदले में आवंटित किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि खसरा संख्या 173 में याचिकाकर्ता के कब्जे में जो भूमि है, वह सरकारी भूमि है और खसरा संख्या 134/269 में स्थित उसके आवेदन पर उसे जो भूमि आवंटित की गई थी, वह भी सरकारी भूमि है। इस प्रकार, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (जिसे आगे '1955 का अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 48 के प्रकाश में वर्तमान मामले में भूमि के आदान-प्रदान की अनुमति देने में कोई बाधा नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से खसरा संख्या 173 में स्थित भूमि पर काबिज है और कड़ी मेहनत के बल पर उसने उक्त भूमि को खेती योग्य बनाया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को भूमि कृषि उद्देश्यों के लिए आवंटित की गई थी और यदि जिस उद्देश्य के लिए भूमि आवंटित की गई थी, वह पूरा नहीं होता है, तो भूमि के आवंटन का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा।

5. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि नामित अधिकारी (राजस्व) कलेक्टर, जैसलमेर द्वारा पारित दिनांक 01.09.2021 के आदेश द्वारा की गई अस्वीकृति भी कानून के विरुद्ध है क्योंकि 1955 के अधिनियम की धारा 48 और राजस्थान काश्तकारी नियमों के नियम 24 एए के मद्देनजर याचिकाकर्ता द्वारा बदले में मांगी गई भूमि उसे आवंटित की जा सकती है।

6. विद्वान अधिवक्ता ने भूमि के आदान-प्रदान के लिए समान प्रावधानों के तहत विभिन्न कलेक्टरों द्वारा पारित कई आदेशों का भी हवाला दिया, जिसके तहत आवेदकों के आवेदनों को स्वीकार करते हुए उनके पक्ष में सरकारी भूमि का आदान-प्रदान किया गया है।

7. विद्वान अधिवक्ता ने सरवन बनाम राज्य एवं अन्य (एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13044/2008) में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का हवाला दिया है, जिसका निर्णय 12.05.2021 को हुआ था, जिसमें निम्नलिखित शब्दों में अवलोकन किया गया है:-

"पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनवाई के पश्चात, मुझे लगता है कि धारा 48(2) में यह प्रावधान है कि भूमिधारक, किसी किरायेदार के साथ समझौते में, उस किरायेदार को उस भूमि के अलावा अन्य भूमि दे सकता है जो किराए पर दी गई है, बदले में उस भूमि के बदले में जो उस किरायेदार के स्वामित्व में शामिल है। इसलिए उप-धारा (2) में यह परिकल्पना नहीं की गई है कि विनिमय के उद्देश्य से दो किरायेदार होने चाहिए। धारा 48 की उप-धारा (1) में हालांकि दो किरायेदारों के बीच भूमि के पारस्परिक विनिमय का उल्लेख है, जो वे उस भूमिधारक से उस भूमिधारक की लिखित सहमति से लेते हैं, लेकिन यह शर्त धारा 48 की उप-धारा (2) पर लागू नहीं हो सकती है।"

8. इसलिए याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना करते हैं कि रिट याचिका को अनुमति दी जाए और नीचे के प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 01.09.2021 के आदेश को रद्द किया जाए और अलग रखा जाए और भूमि के आदान-प्रदान के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को भी अनुमति दी जाए।

9. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को भूमि का आवंटन वर्ष 1977 में किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2019 में भूमि के आदान-प्रदान के लिए आवेदन दायर किया है। इस प्रकार, आवेदन दायर करने में 45 वर्ष से अधिक की देरी हुई है। इसलिए, वह प्रस्तुत करते हैं कि आवेदन देरी के आधार पर ही खारिज किए जाने योग्य है।

10. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आगे कहा कि भूमि के आदान-प्रदान का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि 1955 के अधिनियम की धारा 48 केवल दो निजी व्यक्तियों के बीच भूमि के आदान-प्रदान को अनिवार्य करती है और इसलिए, वर्तमान मामले में शामिल भूमि सरकार की है, इस प्रकार, भूमि के आदान-प्रदान के लिए आवेदन को कलेक्टर, जैसलमेर

द्वारा दिनांक 01.09.2021 के आदेश द्वारा सही रूप से खारिज कर दिया गया है। इसलिए, वह प्रार्थना करते हैं कि रिट याचिका को खारिज किया जाए।

11. मैंने बार में किए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार किया है और दिनांक 01.09.2021 के आदेश सहित मामले के प्रासंगिक रिकॉर्ड को देखा है।

12. इस मामले में इस न्यायालय द्वारा ध्यान में रखे गए निर्विवाद तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता 50 वर्षों से अधिक समय से ग्राम भोजासर, तहसील और जिला जैसलमेर में 38 बीघा भूमि पर काबिज है। इस सम्पूर्ण कार्यकाल के दौरान, याचिकाकर्ता के कब्जे वाली भूमि को राजस्व अभिलेखों में चिन्हित व दर्ज नहीं किया गया, जिससे याचिकाकर्ता को यह पता ही नहीं चला कि उसकी भूमि किस खसरे में स्थित है। याचिकाकर्ता ने अपने कब्जे वाली भूमि के नियमितीकरण के लिए वर्ष 1971 में आवेदन पत्र दाखिल कर समय रहते आवेदन किया था तथा उसे वर्ष 1977 में 38 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। याचिकाकर्ता को सरकार द्वारा जो भूमि आवंटित की गई थी, वह खसरा संख्या 134/269 में स्थित है तथा वह उस भूमि से भिन्न है, जिस पर वह काबिज है। बाद में, याचिकाकर्ता के कब्जे वाली भूमि को खसरा संख्या 173 के रूप में चिन्हित कर दिया गया। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने भूमि के आदान-प्रदान के लिए आवेदन पत्र दाखिल कर प्रतिवादियों से संपर्क किया।

13. ग्राम पंचायत हमीरा ने अपने संकल्प दिनांक 07.11.2017 के तहत भूमि विनिमय का मामला उठाया और खसरा संख्या 134/269 से खसरा संख्या 173 में भूमि विनिमय की संस्तुति की। इसी तर्ज पर, जैसलमेर के तहसीलदार ने भी अपने पत्र दिनांक 27.03.2019 के माध्यम से 'अनापत्ति' जारी करके भूमि विनिमय की संस्तुति की। चूंकि भूमि विनिमय के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए याचिकाकर्ता ने कलेक्टर, जैसलमेर के समक्ष भूमि विनिमय के लिए 05.03.2019 को एक आवेदन प्रस्तुत किया। विनिमय हेतु प्रस्तुत आवेदन पर कलेक्टर ने उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर से मामले की जांच करवाकर उन्हें व्यक्तिगत रूप से मौके पर आने को कहा तथा उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर ने मौके पर जाकर अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 15.07.2021 को प्रस्तुत की, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया कि याचिकाकर्ता को खसरा संख्या 134/269 में आवंटित की गई भूमि कृषि योग्य नहीं है तथा उस भूमि पर कोई कृषि गतिविधि नहीं की जा सकती है, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई विनिमय की अनुमति दी जाए। लेकिन कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 01.09.2021 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 के प्रावधान के आलोक में

कलेक्टर द्वारा आवेदन पर विचार किया जाना अपेक्षित था। संक्षिप्तता के लिए, अधिनियम 1956 की धारा 101 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जाता है:-

“101. कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन।-

(1) इस अधिनियम द्वारा अन्यत्र अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि ऐसे प्राधिकारी द्वारा तथा ऐसी रीति से आवंटित की जाएगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जाए।

(2) इस धारा के अधीन भूमि के सभी आवंटन, ऐसी दरों पर निर्धारित किराए के भुगतान के अधीन होंगे, जो कि रीति-रिवाज या प्रयोग या विषय पर किसी कानून के अनुसार निर्धारित किए जा सकते हैं।

(3) हटाया गया।

(4) यदि एक से अधिक व्यक्ति एक ही भूमि की मांग कर रहे हों, तो आवंटन निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा -

(i) जोत के सह-हिस्सेदार को, यदि वह एक सघन खंड का भाग है या एक ही स्रोत से सिंचित है, ऐसे सह-हिस्सेदारों में से उस व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी, जिसके पास राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 3, 1955) के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित क्षेत्रफल से कम भूमि है;

(ii) उस गांव में रहने वाले व्यक्तियों को, जिसमें भूमि स्थित हो, ऐसे व्यक्तियों में से उन व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास कोई भूमि नहीं है या उक्त नियमों द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल से कम है;

(iii) लॉटरी द्वारा:

बशर्ते कि इस प्रकार लिया गया क्षेत्रफल तथा उसके द्वारा धारित क्षेत्रफल उक्त नियमों द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक न हो।”

14. धारा 101 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि आवंटित की जा सकती है, जो स्पष्ट रूप से विधानमंडल की मंशा को दर्शाता है कि भूमि के आवंटन का उद्देश्य ऐसी भूमि पर कृषि गतिविधियां करना है। इसलिए, प्रथम दृष्टया इस न्यायालय का विचार है कि 1956 के अधिनियम की धारा 101 के तहत किसी व्यक्ति को कृषि योग्य भूमि आवंटित करना केवल विधानमंडल की मंशा को

पूरा करने और संतुष्ट करने के लिए आवश्यक है। उप मंडल मजिस्ट्रेट, जैसलमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि खसरा संख्या 134/269 वाली भूमि, जो वास्तव में याचिकाकर्ता को आवंटित की गई थी, कृषि योग्य नहीं है और उसे आवंटित कर दिया गया है, तो अधिनियम की धारा 101 के तहत भूमि आवंटन का उद्देश्य विफल हो गया है।

15. इसी प्रकार, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5 उप-खण्ड (26) एवं 49 तथा 1956 के नियम 24 एए में भूमि के विनिमय के लिए प्रावधानों पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है, जो निम्नानुसार है:-

“1955 के अधिनियम की धारा 48:-

“48. भूमि का आदान-प्रदान- (1) एक ही वर्ग के काश्तकार, उस भूमि का आदान-प्रदान कर सकते हैं जो उनके पास उसी भूमिधारक से है, ऐसे भूमिधारक की लिखित सहमति से या जो उनके पास विभिन्न भूमिधारकों से है, ऐसे सभी भूमिधारकों की लिखित सहमति से। (2) कोई भूमिधारक, काश्तकार के साथ समझौते में, उस काश्तकार को उस भूमि के अलावा अन्य भूमि दे सकता है जो किराए पर दी गई है, उस भूमि के बदले में जो उस काश्तकार के स्वामित्व में शामिल है।” राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5 की उपधारा 26।

(26) "भूमि-धारक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा (राज्य के किसी भी भाग में, चाहे किसी भी नाम से निर्दिष्ट) जिसे किराया देय है, या यदि किसी अनुबंध के लिए, व्यक्त या निहित, देय होता और इसमें शामिल होंगे-

(i) संपदा-धारक,

(ii) किराए की अनुकूल दर पर अनुदानकर्ता,

(iii) उप-पट्टे के मामले में, मुख्य काश्तकार जिसने उप-पट्टा दिया है या उसका बंधक,

(iv) चैंटर IX और X के प्रयोजनों के लिए, और इजारदार या ठेकेदार, और

(v) सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति जो उससे सीधे या उसके अधीन रहने वाले व्यक्तियों के संबंध में श्रेष्ठ धारक है;" राजस्थान काश्तकारी नियमों की धारा 24AA:-

"[24AA. (1) राज्य सरकार से सीधे भूमि धारण करने वाले एक ही वर्ग के काश्तकारों द्वारा भूमि का आदान-प्रदान, ऐसे काश्तकारों की लिखित रूप में पारस्परिक सहमति से, उस तहसील के तहसीलदार द्वारा जिसमें ऐसी

भूमि स्थित है या जिले के कलेक्टर द्वारा, यदि ऐसी भूमि एक ही जिले की विभिन्न तहसीलों में स्थित है, अनुमति दी जा सकेगी] या (2) जहां किसी काश्तकार द्वारा राज्य सरकार से सीधे भूमि धारण की जाती है, वहां सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे काश्तकार की सहमति से उसे किराए पर दी गई भूमि के बदले में कोई अन्य भूमि दे सकेगा।”

16. 1955 के अधिनियम की धारा 48 का एक मात्र अवलोकन यह दर्शाता है कि भूमिधारक, किरायेदार के साथ समझौते में, किरायेदार को ऐसी भूमि के अलावा अन्य भूमि दे सकता है जो किराए पर दी गई है, बदले में ऐसी भूमि जो किरायेदार की जोत में शामिल है। 1955 के अधिनियम की धारा 5 के उप खंड 26 के अनुसार, राज्य भूमि धारक है और इसलिए कलेक्टर होने के नाते भूमि का संरक्षक है, उसे याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करना आवश्यक था जो किरायेदार है। वर्तमान मामले में, चूंकि दोनों भूमि भूमिधारक यानी राज्य की है जिसे याचिकाकर्ता द्वारा विनिमय के लिए मांगा गया है, इसलिए राज्य सरकार के लिए भूमि के विनिमय के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन की अनुमति देने में कोई बाधा नहीं है। इसके अलावा, राजस्थान काश्तकारी नियम के नियम 24 एए के उपनियम 2 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि जहां किसी काश्तकार द्वारा राज्य सरकार से सीधे भूमि ली गई हो, वहां सरकार या उसकी ओर से अधिकृत कोई अधिकारी ऐसे काश्तकार की सहमति से उसे काश्तकार को दी गई भूमि के बदले में कोई अन्य भूमि दे सकता है। वर्तमान मामले में भी, चूंकि कलेक्टर संबंधित प्राधिकारी है और भूमि के बदले में भूमि मांगने वाला व्यक्ति याचिकाकर्ता है, इसलिए कलेक्टर के लिए याचिकाकर्ता द्वारा भूमि के आदान-प्रदान के लिए प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है।

17. विद्वान सरकारी वकील द्वारा विलंब के मुद्दे पर तर्क केवल इस आधार पर खारिज किया जाना उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन कलेक्टर द्वारा विलंब के आधार पर खारिज नहीं किया गया था और इसलिए इस मामले में इस पर विचार-विमर्श और चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

18. अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि खसरा संख्या 134/269 में याचिकाकर्ता को आवंटित भूमि के बदले में भूमि के कब्जे को आवंटित करने या विनिमय करने में कोई शर्त/प्रतिबंध या बाधा है।



19. यह न्यायालय इस तथ्य पर भी ध्यान देता है कि समान स्थिति में, याचिकाकर्ता के समान स्थिति वाले काश्तकारों द्वारा दायर आवेदनों को राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों के संबंधित कलेक्टरों द्वारा उनके पक्ष में भूमि विनिमय के लिए अनुमति दी गई थी। प्रतिवादी के विद्वान वकील उक्त तथ्य का खंडन करने की स्थिति में नहीं हैं।

20. दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह न्याय का उपहास होगा यदि वर्तमान मामले में भूमि विनिमय की अनुमति नहीं दी जाती है क्योंकि याचिकाकर्ता ने पिछले 50 वर्षों में अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता से बंजार और गैर-खेती योग्य भूमि को खेती योग्य भूमि बना दिया है, उसके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। साथ ही, खसरा संख्या 134/269 में याचिकाकर्ता को आवंटित भूमि पथरीली है तथा कृषि गतिविधियों के लिए उपयुक्त नहीं है और यदि इसे आवंटित किया जाता है तो इससे राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत निहित उद्देश्य विफल हो जाएगा।

21. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है तथा इसे स्वीकार किया जाता है। अभिहित अधिकारी (राजस्व) कलेक्टर, जैसलमेर द्वारा पारित दिनांक 01.09.2021 के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा अपास्त किया जाता है। प्रतिवादी-कलेक्टर, जैसलमेर को उचित आदेश पारित करके बदले में याचिकाकर्ता के पक्ष में भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया जाता है।

(विनित कुमार माथुर), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है )

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।